न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 78/23 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2023/333

अनवान्

1. श्रीमती हिराबाई पुत्री केसा पत्नी नारायण डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।

.....प्रार्थीयां

बनाम

1. श्रीमती प्यारीबाई पुत्री केसा पत्नी सोहनलाल डांगी निवासी विठोली (तुरकिया) तहसील मावली।
2. श्री भेरूलाल पिता केसुलाल डांगी निवासी भमरासियां घाटी तहसील वल्लभनगर।
3. श्रीमती मोहनीबाई पत्नी केसा डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
4. श्री उदा पिता माना डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
5. श्री कुका पिता वरदा डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
6. श्री चेना पिता माना डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
7. श्री जेता पिता डुंगा डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
8. श्री तुलछा पिता माना डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
9. श्री दला पिता माना डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
10. श्री देवा पिता माना डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
11. श्री दीपा पिता डुंगा डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
12. श्री नाथिया उर्फ नाथु पिता वरदा डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
13. श्री परथा पिता डुंगा डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
14. श्री हका पिता भोला डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
15. श्रीमती हीराबाई पत्नी नारायणलाल डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
16. चेनीबाई पिता उदा डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
17. टांकुबाई पिता उदा डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
18. श्री तेजा पिता तुलसा डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
19. दलुबाई पिता उदा डांगी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
20. श्री पुरा पिता तुलसा डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
21. श्री रोडा पिता तुलसा डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
22. श्रीमती वरदीबाई पत्नी किशनलाल डांगी निवासी रख्यावल (कालीमगरी) तहसील मावली।
23. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
24. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली।
25. पटवारी, पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थीया।
2. श्री जसवन्त राय चौहान, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री भोजपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 05.03.2026

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 801 रकबा 0.0162 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रार्थीयां व विपक्षी संख्या 1, 3 प्रत्येक के नाम 1/54 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में अंकित मात्र हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार विपक्षीगण के नाम पर हिस्सेनुसार अंकित हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 771, 802, 803, 804, 813 किता 5 कुल रकबा 0.8174 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1, 3 प्रत्येक के नाम 2/27 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में अंकित मात्र है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार विपक्षीगण के नाम पर हिस्सेनुसार अंकित हैं। परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 1523, 1524, 1525 किता 3 कुल रकबा 0.3642 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1, 3 प्रत्येक के नाम 1/9 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में अंकित मात्र हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार विपक्षीगण के नाम पर हिस्सेनुसार अंकित हैं। परिशिष्ट द में वर्णित आराजी नम्बर 772, 773, 778, 780, 814, 815 किता 6 कुल रकबा 0.3237 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1, 3 प्रत्येक के नाम 1/27 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में अंकित मात्र हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार विपक्षीगण के नाम पर हिस्सेनुसार अंकित हैं। परिशिष्ट य में वर्णित आराजी नम्बर 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089 किता 21 कुल रकबा 3.3914 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1, 3 प्रत्येक के नाम 1/9 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में अंकित मात्र हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार विपक्षीगण के नाम पर हिस्सेनुसार अंकित हैं।
2. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ, ब, स, द, य में वर्णित आराजीयात पूर्व में मुझ प्रार्थीया तथा विपक्षी संख्या 1 के पिता एवं विपक्षी संख्या 3 के पति श्री केसा पिता वरदा जी डांगी के नाम पर दर्ज थी तथा केसा पिता वरदा डांगी के कोई पुत्र संतान नहीं होने से केसा जी व उनकी पत्नी विपक्षी संख्या 3 की सेवा चाकरी मुझ प्रार्थीया द्वारा की जा रही थी। मुझ प्रार्थीया की सेवा चाकरी से खुश होकर मेरे माता पिता ने मिलकर प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात में केसा जी के नाम दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्से को मुझ प्रार्थीया को दान कर दी और मुझ प्रार्थीयां को कुलिया भूमि का कब्जा सुपुर्द कर इसकी पुष्टि में

मुझ प्रार्थीया के पिता केसा जी ने मुझ प्रार्थीया के पक्ष में दान पत्र तैयार करवाकर दिनांक 28.01.2013 को उसका पंजीयन उप पंजीयक मावली में करवा दिया। उक्त दान से विपक्षी संख्या 3 भी सहमत थी जिससे विपक्षी संख्या 3 ने भी केसा जी द्वारा निष्पादित किये गये पंजीकृत दान पत्र में बतौर गवाह सम्मिलित होकर अपनी साक्ष्य दी थी। इस तरह मैं प्रार्थीयां दान पत्र में वर्णित हक हिस्से पर दान पत्र निष्पादित होने की तारीख से निर्बाध रूप से ही अपने पिता एवं अन्य वारिसान की जानकारी में उनके जीवनकाल से ही काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हूं और आज भी मुझ प्रार्थीयां का ही कब्जा काश्त अधिकार सहित चला आ रहा हैं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात पर मैं प्रार्थीया अपने पिता के जीवनकाल से हर आम एवं खास की जानकारी में ही काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हूं एवं मुझ प्रार्थीया के पिता द्वारा मुझ प्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 28.01.2013 को जो दान पत्र निष्पादित किया है उसकी प्रारम्भ से ही जानकारी विपक्षी संख्या 1, 3 को भली भांति थी लेकिन मैं प्रार्थीया ग्रामीण महिला होने से उक्त दान पत्र के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करा सकी। मुझ प्रार्थीयां के पिता केसा जी की मृत्यु दिनांक 29.04.2013 को हो गई तथा मुझ प्रार्थीयां के पिता की मृत्यु के बाद विपक्षी संख्या 1 ने सभी तथ्यों से अवगत होने के उपरान्त भी विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1056 के जरिए प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात में दानकर्ता केसा पिता वरदा डांगी के नाम दर्ज भूमि को मुझ प्रार्थीया, विपक्षी संख्या 1 व 3 के नाम पर रद्दोबदल करवा दिया जबकि उक्त कृषि भूमि में मुझ प्रार्थीयां के अलावा विपक्षी संख्या 1 व 3 का कोई हक व अधिकार नहीं है क्योंकि मैं प्रार्थीयां अपने पिता से पंजीकृत दान पत्र के जरिए प्राप्त हुई कुलिया भूमि पर दान पत्र की तारीख से आज तक काबिज होकर काश्त कर रही हूं किन्तु केसा जी की विरासत से विपक्षी संख्या 1 व 3 का नाम दर्ज हो जाने से विपक्षी संख्या 1 के मन में लोभ व लालच पैदा हो गया और लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ट ब व य में वर्णित आराजीयात में अपने नाम दर्ज हिस्से का नाजायज तरीके से विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र तैयार कराकर दिनांक 02.12.2015 को उसका पंजीयन करवा दिया। जबकि विपक्षी संख्या 1 को उसके नाम दर्ज हिस्से को विक्रय या हस्तान्तरित करने का कोई हक व अधिकार नहीं था, न ही उक्त आराजीयात पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा है, न ही विपक्षी संख्या 1 ने उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर कब्जा विपक्षी संख्या 2 को दिया हैं। विपक्षी संख्या 1 का उक्त आराजीयात पर कब्जा ही नहीं है तो विपक्षी संख्या 2 को कब्जा सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठता है व ऐसे नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 2 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है और उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र मुझ प्रार्थीयां के हक अधिकारों के मुकाबले शून्य होकर बेअसर हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ, ब, स, द, य में वर्णित आराजीयात को मुझ प्रार्थीयां के पिता केसा जी द्वारा दिनांक 28.01.2013 को मुझ प्रार्थीयां को दान में देकर दान पत्र का पंजीयन मुझ प्रार्थीया के पक्ष में करा दिया जिससे मैं प्रार्थीया उक्त दान पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने की अधिकारी हूं तथा प्रार्थीयां की ओर से दान पत्र के जरिये खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने हेतु पूर्व में आप न्यायालय में वाद पत्र पेश किया गया था जिसके प्रकरण संख्या 04/16 वाद है किन्तु गफलत वश प्रार्थीया द्वारा नये वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उक्त वाद को दिनांक 19.07.2023 को विड्रो कर दिया। इसलिए मुझ प्रार्थीयां की ओर से यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है क्योंकि पूर्व खातेदार केसा जी द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि मुझ प्रार्थीयां को रजिस्टर्ड दान पत्र के जरिये हस्तान्तरित की गई है जिस भूमि पर मुझ प्रार्थीया का नियमित रूप से अधिकार सहित कब्जा चला आ रहा हैं। ऐसी अवस्था में विपक्षी संख्या 1 से 3 या अन्य किसी का किसी प्रकार का स्वत्व अधिकार नहीं है किन्तु प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है तथा विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ब, य में वर्णित आराजीयात में अपने नाम अंकित हिस्से को नुमाईशी विक्रय पत्र के जरिए विपक्षी संख्या 2 को हस्तान्तरित कर दी गई हैं जिससे विपक्षी संख्या 2 अब उक्त नुमाईशी दस्तावेज की आड लेकर उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करना चाहा रहा है, भूमि को अपने नाम पर दर्ज कराने के प्रयास कर रहा है एवं विपक्षी संख्या 1 शेष भूमि को भी हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराया जाना आवश्यक हो गया है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को अन्य व्यक्ति को रहन, बैह, बक्षीस नहीं करे, न ही विक्रय हस्तान्तरण करें, विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त आराजीयात पर ताकत के बल पर कब्जा नहीं करे, प्रार्थीया को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थीया के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करे, मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विपक्षी संख्या 2 उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 23 व 25 से मिलकर नामान्तरण की कार्यवाही नहीं करें, न ही विपक्षी संख्या 24 उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन करें, राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थीया को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दु भी मुझ प्रार्थीया के पक्ष में हैं।

6. यह कि मुझ प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 31.07.2023 को उत्पन्न हुआ जब वाद विड्रो होने की जानकारी के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 व 2 मौके पर आये और प्रार्थीया को उसके कब्जे अधिकार की कृषि भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी दी और समझाने पर भी नहीं माने। इसलिए उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थीया के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में अपने नाम अंकित हक हिस्से को अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस नहीं करे, न ही विक्रय हस्तान्तरण करे, विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त आराजीयात पर ताकत के बल पर कब्जा नहीं करे, प्रार्थीया को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थीयां के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें, मौके व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 2 उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 23 व 25 से मिलकर नामान्तरण की कार्यवाही नहीं करें, न ही विपक्षी संख्या 24 उक्त आराजीयात का पंजीयन करे, न ही राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 4 से 22 के विरूद्व प्रार्थीया द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व पूर्व में कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाद वर्णित कृषि भूमि ग्राम रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल में स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 व 3 के नाम पर हिस्सेनुसार अंकित होना स्वीकार है। मुझ विपक्षी संख्या 1 ने परिशिष्ट ब, य में अंकित कृषि भूमि में अपने नाम दर्ज हक हिस्से को विपक्षी संख्या 2 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये हस्तान्तरित की जा चुकी है जिससे उक्त हिस्से की भूमि पर विपक्षी संख्या 2 वक्त खरीद से काबिज चला आ रहा है तथा मैं विपक्षी शेष भूमियों पर अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही हूं जिसमें प्रार्थीयां का कोई हक अधिकार नहीं रहा हैं।

8. यह कि प्रार्थीयां अकेले ने कभी भी हमारे पिता केसा जी की सेवा चाकरी नहीं की थी बल्कि हम सभी परिवारजन द्वारा केसा जी की सेवा चाकरी उनके अंतिम समय तक की गई थी और उनके मरणोपरान्त भी हम सभी ने संयुक्त रूप से सभी क्रियाकर्म निर्वाह किये और सामाजिक परम्परा अनुसार होने वाले कार्यक्रमों का आयोजन कर सम्पन्न कराये गये थे। हम दोनों ने अपने दायित्व अनुसार हमारे पिता की सेवा सुश्रुषा की थी तथा हमारे पिता ने अपने जीवनकाल में कभी भी अपनी संतानों के बीच कोई भेद नहीं किया था बल्कि दोनों की संतानो से एक समान रूप से प्रेम रखकर भरोसा करते थे। ऐसी अवस्था में हमारे पिता द्वारा प्रार्थीयां अकेले के पक्ष अपनी भूमि को दान करने एवं

दान पत्र निष्पादित करने तथा इस कार्य में हमारी माता की सहमति होने का कथन अपने आपमें मिथ्या एवं बनावटी हैं। प्रार्थीया ने उक्त दान पत्र धोखाधडी पूर्वक हमारे पिता को मुगालते में रखकर षड्यन्त्र पूर्वक तैयार कराया है और इसमें हमारी माता को भी धोखाधडी पूर्वक ही गवाह के रूप में शामिल किया हैं। प्रार्थीया द्वारा बताये जा रहे दान पत्र में कही पर भी प्रार्थीयां की ओर से कथित दान पत्र को स्वीकार अथवा ग्रहण करने का कोई कथन नहीं किया है जबकि कानूनन इसकी पुष्ठि दान पत्र पर करना आवश्यक था। इससे भी स्पष्ट है कि उक्त दान पत्र प्रार्थीयां द्वारा छल कपट एवं धोखाधडी पूर्वक रचित किया है जिससे प्रार्थीयां को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। केसा के नाम जो सम्पति थी वह हमारी पैतृक सम्पति है जो पूर्व में हमारे मौरूस वरदा जी के नाम पर दर्ज थी और हमारे मौरूस वरदा जी की मृत्यु के बाद उक्त सम्पति केसा एवं अन्य पुत्रों को विरासत से प्राप्त हुई थी जिससे भी केसा जी को अपने नाम दर्ज कुलिया भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। उक्त सम्पति हमारी पैतृक थी जो हमारे पिता केसा जी के मृत्युपरान्त हम वारिसानों को विरासत से प्राप्त हुई और मुझ विपक्षी को अपने हक हिस्से की भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का पुरा–पुरा अधिकार प्राप्त हैं।

9. यह कि प्रार्थीयां का केसा जी के नाम दर्ज रही कुलिया कृषि भूमि पर कभी कोई कब्जा अधिकार न तो पहले था, न ही वर्तमान में हैं। मुझ विपक्षी को मेरी पैतृक सम्पति से वंचित करने की बदनियति से प्रार्थीयां ने षडयन्त्र रचकर धोखाधडी पूर्वक उक्त दान पत्र की कुटरचना की है जो पैतृक सम्पति में निहित मेरे हक अधिकारों के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी हैं। वादगत कृषि भूमि हमारी पैतृक सम्पति है और केसा जी की मृत्यु के बाद नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उक्त भूमि विरासत से हम वारिसानों के नाम अंकित हुई है जो कि कानूनन सही है तथा मुझ विपक्षी को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुए हक हिस्से का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त होने से मुझ विपक्षी ने उक्त परिशिष्ट में अंकित अपने हक हिस्से की भूमि को विधिक प्रक्रिया अपनाकर विपक्षी संख्या 2 को पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये विक्रय कर हस्तान्तरित की है और इसका पूर्ण प्रतिफल प्राप्त किया हैं। मुझ विपक्षी ने पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया है जो प्रार्थीयां के कहने मात्र से बेअसर व शून्य निष्प्रभावी नहीं हो सकता है, न ही ऐसा माना जा सकता है और प्रार्थीयां जब तक विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से केन्सल नहीं करा देवें तब तक राजस्व न्यायालय से कोई भी दाद हासिल करने की अधिकारी नहीं हैं, न ही प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र चलने योग्य हैं।

10. यह कि प्रार्थीयां द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो कि मिथ्या एवं मनगढन्त कथनों पर ही आधारित था जिसे प्रार्थीयां

ने जानबुझकर विड्रो किया और मनमाने ढंग से उन्ही मिथ्या कथनों की पुनरावृति करते हुए यह प्रार्थना पत्र पुनः आप न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जबकि प्रार्थीयां को ऐसा करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था। इससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थीयां येनकेन प्रकारेण मुझ विपक्षी को मेरी पैतृक सम्पति से वंचित करना चाहती है इसी वजह से पूर्व में प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र को विड्रो कर उन्ही आधारों पर नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जो कि किसी भी अवस्था में चलने योग्य नहीं हैं।

11. यह कि प्रार्थीयां का न तो प्रथम दृष्टया मामला है, न ही सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीयां के पक्ष में है क्योंकि वादगत भूमि मेरी पैतृक सम्पति है जिसमें मुझ विपक्षी को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् जन्म से ही अधिकार प्राप्त हुवे है और मेरे पिता के मरणोपरान्त उनके नाम अंकित भूमि विरासत से मेरे व अन्य वारिसानों के नाम पर दर्ज हुई है जो कि सही हैं। प्रार्थीयां द्वारा बताया जा रहा दान पत्र फर्जी होकर धोखाधडी पूर्वक तैयार किया हुआ है तथा उक्त सम्पति मेरी पैतृक होने से भी केसा जी को कानूनी तौर पर भी उक्त दान करने का कोई अधिकार नहीं था। मुझ विपक्षी द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज हुई भूमि में से कुछ भूमि को विपक्षी संख्या 2 को विक्रय की जा चुकी है तथा शेष भूमि पर मैं विपक्षी अधिकार सहित काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हूं और आज भी मेरे ही कब्जे उपयोग उपभोग में हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थीयां मुझ विपक्षी के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से मुझ विपक्षी को भारी क्षति एवं असुविधा होगी और इसकी आड में प्रार्थीयां मेरे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करेंगी, कब्जा करने की कोशिश करेगी। जिससे मुझ विपक्षी के वैध विधिक अधिकारों का हनन होकर इससे मुझ विपक्षी को अतुलनीय क्षति एवं अशोधनीय हानि होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना सम्भव नहीं है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थीयां को कोई क्षति या असुविधा न तो हो रही है, न ही भविष्य में होगी। कानूनन भी एक खातेदार को उसकी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से रोका जाना न्यायोचित नहीं हैं।

12. यह कि प्रार्थीयां को मुझ विपक्षी के विरूद्व दिनांक 31.07.2023 या अन्य किसी दिवस कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं हुआ है और न ही निरन्तर जारी हैं। प्रार्थीयां ने मिथ्या व गलत प्रार्थना पत्र कारण रचित कर यह मिथ्या मुकदमा माननीय न्यायालय आपमें किया है जिसमें प्रार्थीयां को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी और प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्ततः सव्यय खारिज होगा। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीयां, विपक्षीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्ति की अधिकारीणी नहीं हैं।

13. **विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया** कि प्रार्थीयां माननीय न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आयी है तथा सभी झूठे तथ्य अंकित कर माननीय न्यायालय से दाद प्राप्त करना

चाह रही हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जो पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया है उसे जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से केन्सल नहीं करा देवे तक तक प्रार्थीयां को इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थीयां द्वारा बताये जा रहे दान पत्र में कहीं पर भी प्रार्थीयां (द्वितीय पक्षकार) द्वारा दान पत्र को स्वीकार/ग्रहण किये जाने बाबत् कोई कथन नहीं किया है अर्थात् प्रार्थीयां ने दान पत्र को स्वीकार नहीं किया है जबकि कानूनी रूप से दान पत्र में इसका अंकन किया जाना आवश्यक था। जिससे भी प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थीयां ने पूर्व में किये गये प्रार्थना पत्र में एवं हस्तगत प्रार्थना पत्र में भिन्न–भिन्न प्रार्थना पत्र कारण अंकित किये है जो कि एक–दूसरे के विरोधाभाषी है जिससे भी प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज होने योग्य हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

14. **विपक्षी संख्या 3 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि** प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल में स्थित होना स्वीकार है किन्तु मुझ विपक्षीयां संख्या 3 एवं प्रार्थीया एवं विपक्षीया संख्या 1 के नाम पर जो भूमि दर्ज है वह गलत दर्ज हुई है, क्योंकि हमारे मौरूस श्री केशा पिता वरदा जी डांगी द्वारा अपने जीवनकाल में ही दिनांक 28.01.2013 को वाद वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र से प्रार्थीया के पक्ष में दान की थी, किन्तु किसी कारण वश दान पत्र के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही प्रार्थीयां के नाम पर नहीं हो सकी और हमारे मौरूस केशा पिता वरदा जी के निधनोपरान्त उनके नाम दर्ज भूमि को विपक्षीयां संख्या 1 द्वारा जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 1056 से प्रार्थीया, विपक्षीयां संख्या 1 एवं विपक्षीयां संख्या 3 के नाम पर दर्ज करवा लिया, जो नहीं होना चाहिये था, उसी का नाजायज फायदा उठा कर विपक्षीया संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि को दिनांक 02.12.2015 को नुमाईशी विक्रय पत्र के जरिये विपक्षीया संख्या 2 के पक्ष में पंजीयन करवा दिया।

15. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पूर्व में हमारे मौरूस केशा पिता वरदा जी डांगी के नाम पर दर्ज थी। केशा जी की एवं मुझ विपक्षीयां की समस्त सेवा–चाकरी प्रार्थीयां द्वारा की जा रही थी जिस पर प्रार्थीयां की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर केशा जी द्वारा अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को प्रार्थीयां को दिनांक 28.01.2013 को पंजीकृत दान–पत्र के जरिये पंजीयन करवा दिया, जिसमें मुझ विपक्षीयां द्वारा भी बतौर गवाह अपनी अंगुष्ठ निशानी की गई थी, इस प्रकार उक्त दान–पत्र विधिक रूप से वैध होकर कानूनी रूप से आज भी प्रभावी है, मौके पर प्रार्थीयां ही काबिज होकर काश्त कर रही है जिसकी जानकारी सुस्पष्ट रूप से विपक्षीयां संख्या 1 सहित हर खास व आम को हैं।

16. यह कि प्रार्थीयां के पक्ष में केशा जी द्वारा अपने जीवनकाल में पंजीकृत दान पत्र निष्पादित करवाया गया था जिसमें मुझ विपक्षीयां ने भी बतौर गवाह अपनी अंगुष्ठ

निशानी की थी किन्तु प्रार्थीयां द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करने से भूमि केशा जी के नाम पर ही दर्ज रह गई और विपक्षीयां संख्या 1 ने सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद जरिये विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1056 के जरिये वाद वर्णित भूमि को दानकर्ता केशा पिता वरदा के नाम से स्वयं एवं प्रार्थीयां एवं मुझ विपक्षीयां के नाम पर रद्दोबदल करवा दिया जिसका उसे कानूनन कोई अधिकार नहीं था। साथ ही विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ब व य में वर्णित आराजीयात को जरिये नुमाईशी विक्रय पत्र से विपक्षीयां संख्या 2 को दिनांक 02.12.2015 को विक्रय कर दी जबकि मौके पर प्रार्थीयां तन्हा रूप से अपने पिता जी से जरिये दान पत्र प्राप्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रही हैं। मौके पर विपक्षीया संख्या 1, विपक्षीयां संख्या 2 अथवा मुझ विपक्षीयां का इंच मात्र भूमि पर कब्जा नहीं है। जो नुमाईशी विक्रय पत्र विपक्षीयां संख्या 1 द्वारा विपक्षीयां संख्या 2 के पक्ष में तैयार करवाया गया है वो प्रारम्भतः शून्य एवं बेअसर हैं।

17. यह कि प्रार्थीयां उक्त दान पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की कानूनन हकदार हैं। प्रार्थीयां का प्रथम दृष्टया मामला हैं। साथ ही विपक्षीया संख्या 1 द्वारा विपक्षीयां संख्या 2 को प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को जरिये नुमाईशी विक्रय पत्र हस्तान्तरण कर देने से प्रार्थीयां को अपरिमित क्षति कारित हो रही है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थीयां के पक्ष में हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाता है तो मुझ विपक्षीयां को कोई उजर एतराज नहीं हैं।

18. **प्रार्थीयां द्वारा विपक्षी संख्या 1 के जवाब प्रार्थना पत्र एवं विशेष कथन का जवाब–उल–जवाब पेश कर निवेदन किया** कि मुझ प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र ठोस एवं मजबूत तथ्यों पर आधारित होने से मुझ प्रार्थीयां को उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल में स्थित होने का कथन अवश्य ही स्वीकार किन्तु प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के इंच मात्र पर भी विपक्षी संख्या 1 अथवा 2 का कोई कब्जा काश्त नहीं है न ही उनके द्वारा कोई भूमि उपयोग उपभोग में लाई जा रही हैं। मुझ प्रार्थीया द्वारा ही अपने स्वर्गीय पिता श्री केशा जी की मृत्यु पर्यन्त तक सेवा चाकरी की थी जिससे प्रसन्न होकर मेरे स्वर्गीय पिता केशा जी ने अपने जीवनकाल में ही मेरी माता श्रीमती मोहनीबाई की उपस्थिति में उनके नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 28.01.2013 से मुझ प्रार्थीयां के नाम पर दान कर दी गई थी, उक्त दान पत्र में मुझ प्रार्थीयां की माता मोहनीबाई ने स्वेच्छा से बतौर गवाह अपनी अंगुष्ठ निशानी की थी। विपक्षी संख्या 1 ने कभी भी मेरे माता व पिता की सेवा चाकरी नहीं की, न ही कभी उनकी सेवा सुश्रुषा की। मात्र भूमि हडपने की गरज से मिथ्या कथन अंकित किये है, जो रजिस्टर्ड दान पत्र मेरे

स्वर्गीय पिता द्वारा मुझ प्रार्थीयां के पक्ष में निष्पादित किया गया है वह पूर्ण रूप से विधि की प्रक्रियाओं के अनुसरण में निष्पादित किया गया है। विपक्षीयां के कहने मात्र से ही उक्त दान पत्र बनावटी नहीं हो जाता हैं। मैं प्रार्थीयां विपक्षी संख्या 1 व 3 के नाम पर दर्ज भूमि को हटवाने की अधिकारीणी हूं जिसके लिये मेरे द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं।

19. यह कि मुझ प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर मेरे पिता केशा द्वारा मेरे पक्ष में रजिस्टर्ड दान पत्र निष्पादित करने के उपरान्त आज दिनांक तक खुले रूप से कब्जा काश्त होकर उपरोक्त भूमि मेरे ही उपयोग उपभोग में है, किन्तु किसी कारणवश उपरोक्त दानशुदा भूमि मेरे नाम पर दर्ज नहीं होने का नाजायज फायदा उठा कर विपक्षीयां द्वारा विरासत का नामान्तरकरण खुलवा दिया गया, जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं हैं। विपक्षीयां का यह कथन कि उसके द्वारा प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ब व य में अंकित भूमि को विपक्षी संख्या 2 को पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय कर हस्तान्तरित की हैं। उक्त विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से केन्सल कराने का कथन विपक्षीयां द्वारा किया गया है इसका जवाब यह है कि उपरोक्त विक्रय पत्र के निष्पादन होने के पूर्व ही मुझ प्रार्थीयां के पिता जी द्वारा मेरे पक्ष में रजिस्टर्ड दान पत्र निष्पादित करवा रखा है, ऐसी अवस्था में विधि सर्वसम्मत सिद्वान्त है कि प्रथम रजिस्टर्ड दस्तावेज ही विधि मान्य है उसके उपरान्त निष्पादित दस्तावेजों का कानून की नजर में कोई मूल्य नहीं हैं। इस प्रकार प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा पूर्ण रूप से विचारण योग्य हैं।

20. यह कि मुझ प्रार्थीयां द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को गफलत में किसी पर विश्वास कर विड्रो किया गया था किन्तु विड्रो करते समय मुझ प्रार्थीयां की ओर से नये प्रार्थना पत्र लाने के अधिकार को सुरक्षित रखा गया था। मुझ प्रार्थीयां के पक्ष में प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला होकर सुविधा संतुलन अशोधनीय क्षति के बिन्दू भी मुझ प्रार्थीयां के पक्ष में हैं। मेरे स्वर्गीय पिता केशा जी के द्वारा अपने जीवनकाल में निष्पादित रजिस्टर्ड दान पत्र कतई फर्जी नहीं होकर पूर्ण विधि प्रक्रियाओं के अनुसरण में निष्पादित किया गया था। मुझ प्रार्थीयां के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज प्रथम दस्तावेज है जो पूर्ण रूप से अस्तित्व में हैं। इसके पश्चात् निष्पादित दस्तावेज की कानून में कोई मान्यता नहीं हैं।

21. विशेष कथन का जवाब पेश कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थीयां के पक्ष में मेरे पिता केशा जी के द्वारा अपने जीवनकाल में उनके नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र से हस्तान्तरित की गई थी ऐसी अवस्था में उक्त दस्तावेज के निष्पादन के उपरान्त निष्पादित कोई भी दस्तावेज प्रथम दृष्टया शून्य हैं। यदि विपक्षी संख्या 1 को मुझ प्रार्थीयां के पिता केशा जी द्वारा उनके जीवनकाल में मुझ प्रार्थीयां के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड दान पत्र के सम्बन्ध में कोई एतराज है तो वह उस बाबत् सक्षम

न्यायालय में कार्यवाही करने को स्वतन्त्र है, जो दस्तावेज मुझ प्रार्थीयां के पक्ष में निष्पादित हुआ है वह पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रियाओं के अनुसरण में हुआ हैं। प्रार्थीयां द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी उसी अनुरूप प्रार्थना पत्र कारण अंकित किया गया हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत जवाब उल जवाब को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान करें।

22. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीयां द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायिक दृष्टान्त RRT 2022 (1) Page 102 पेश कर प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

23. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दुओं पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीयां एवं विपक्षी संख्या 1, 3 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीयां एवं विपक्षी संख्या 1, 3 के पिता/पति केशा के नाम हिस्सेनुसार दर्ज थी जो केशा के फौत होने पर विरासत के आधार पर प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1, 3 के नाम दर्ज हुई। प्रार्थीयां द्वारा घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1 से 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीयां का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीयां के पिता केशा जी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 28.01.2013 से प्रार्थीयां के पक्ष में दान कर दी परन्तु उक्त दान पत्र का नामान्तरकरण पारित नहीं होने से एवं केशा के फौत होने से विरासत के आधार पर विपक्षी संख्या 1, 3 का नाम भी दर्ज हो गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने नाम भूमि दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए परिशिष्ट ब व य में वर्णित अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.12.2015 से विक्रय कर दी गई। प्रार्थीया, विपक्षी संख्या 1, 3 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारीणी हैं।

विपक्षी संख्या 3 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में मेरे पति केशा के नाम दर्ज थी जो केशा के फौत होने पर विरासत के आधार पर प्रार्थीयां, विपक्षी संख्या

1 एवं मुझ विपक्षी संख्या 3 के नाम दर्ज हुई। उक्त इन्द्राज गलत हुआ है चूंकि वादग्रस्त भूमि को केशा द्वारा प्रार्थीयां के पक्ष दान कर दी थी जिस पर बतौर गवाह मुझ विपक्षी संख्या 3 के भी अंगुष्ठ निशानी हैं। इस कारण प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं।

विपक्षी संख्या 1 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीयां एवं विपक्षी संख्या 1, 3 की मौरूसी सम्पति है जो प्रार्थीयां एवं विपक्षी संख्या 1, 3 के नाम केशा के फौत होने पर विरासत के आधार पर दर्ज हुई है, उक्त अंकन सही हुआ हैं। प्रार्थीयां ने उक्त कथित दान पत्र धोखाधडी पूर्वक हमारे पिता को मुगालते में रखकर षड्यन्त्र पूर्वक तैयार कराया है और इसमें हमारी माता विपक्षी संख्या 3 को भी धोखाधडी पूर्वक ही गवाह के रूप में शामिल किया हैं। मुझ विपक्षी संख्या 1 को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुए हक हिस्से का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त होने से परिशिष्ट ब व य में अंकित अपने हक हिस्से की भूमि को विधिक प्रक्रिया अपनाकर विपक्षी संख्या 2 को पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये विक्रय कर हस्तान्तरित की है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीयां एवं विपक्षी संख्या 1, 3 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीयां एवं विपक्षी संख्या 1, 3 के पिता/पति के नाम हिस्सेनुसार दर्ज थी जो विरासत के आधार पर प्रार्थीयां एवं विपक्षी संख्या 1, 3 के नाम दर्ज हुई। प्रार्थीयां रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहती हैं। विपक्षी संख्या 1 का कथन है कि उक्त दान पत्र धोखाधडी पूर्वक तैयार किया गया है। न्यायालय का यह मानना है कि यदि उक्त दस्तावेज धोखाधडी पूर्वक तैयार किया गया था तो विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त दान पत्र को निरस्त करवाने की कार्यवाही क्यों नहीं की ?

न्यायालय का यह भी मानना है कि वादग्रस्त भूमि बाबत् दो दस्तावेजो का पंजीयन हुआ। प्रथम दस्तावेज रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 28.01.2013 एवं द्वितीय दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.12.2015 हैं। इस प्रकार एक ही भूमि बाबत् दो अथवा दो से अधिक दस्तावेज तैयार किये गये हो तो प्रथम दस्तावेज ही वैध दस्तावेज की श्रेणी में माना जाता हैं। वादग्रस्त भूमि का बार–बार हस्तान्तरण होना अपने आप में जटिल बिन्दू होकर वादग्रस्त भूमि विवादित भूमि की श्रेणी में आती हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज एवं विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में विक्रय करने से यदि विपक्षी संख्या 1 से 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं वादग्रस्त भूमि का फर्दन–फर्दन हस्तान्तरण होता रहेगा तो इससे प्रार्थीयां के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में जटिलताएं उत्पन्न होगी। चूंकि प्रार्थीयां के पास

प्रथम रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीया, विपक्षी सं. 1, 3 तथा अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 28.01.2013 के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाना चाहती हैं। इस कारण यदि विपक्षी संख्या 1 से 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 से 2 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को खुर्द बुर्द, विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीया को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीया अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रही हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1, 3 तथा अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1, 3 के पिता/पति केशा द्वारा रजिस्टर्ड दान पत्र प्रार्थीयां के पक्ष में निष्पादित किये जाने से एवं विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में विक्रय कर देने से यदि विपक्षी संख्या 1 से 2 वादग्रस्त भूमि को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस, नामान्तरकरण आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रार्थीयां को अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 3 वादग्रस्त भूमि के खातेदार एवं विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि विक्रय कर देने से यदि विपक्षी संख्या 1 से 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 से 2 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को रहन, बैह, बक्षीस, नामान्तरकरण आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीया के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थीया को अपने हिस्से से वंचित होना पडेगा। प्रकरण में दिनांक 04.08.2023 से विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया

का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि विपक्षी संख्या 1, 2 मूल वाद के निस्तारण तक मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 68 पर दर्ज आराजी नम्बर 801 रकबा 0.0162 हेक्टेयर, खाता संख्या 257 पर दर्ज आराजी नम्बर 771, 802, 803, 804, 813 किता 5 कुल रकबा 0.8174 हेक्टेयर, खाता संख्या 256 पर दर्ज आराजी नम्बर 1523, 1524, 1525 किता 3 कुल रकबा 0.3642 हेक्टेयर, खाता संख्या 254 पर दर्ज आराजी नम्बर 772, 773, 778, 780, 814, 815 किता 6 कुल रकबा 0.3237 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 255 पर दर्ज आराजी नम्बर 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089 किता 21 कुल रकबा 3.3914 हेक्टेयर भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। उक्त आदेश अन्य सहखातेदारान पर प्रभावी नहीं होगा साथ ही तहसीलदार घासा को भी आदेशित किया जाता है कि अन्य सहखातेदार के किसी भी प्रकार के नामान्तरकरण इस स्थगन के सन्दर्भ में नहीं रोकें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली